बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–तक0को0– 312/2018.................................. पटना, दिनांक :–..................

आदेश

प्रथम चरण में बिहार राज्य के बीस जिलों (बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा) में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य प्रारंभ किया गया है। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से निदेशालय के पत्रांक– 10233 दिनांक– 09.07.2020 द्वारा उक्त जिलों के समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि उक्त पत्र में अंकित बिन्दुओं सहित बिहार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका एवं पत्र आदि के आलोक में समयावधि अंतर्गत कार्रवाई की जाय एवं समीक्षा पश्चात निदेशालय को भी अवगत कराया जाय। इस क्रम में यह आवश्यक है कि इन बीस जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों का अनुश्रवण एवं समीक्षा राज्य मुख्यालय स्तर से भी नियमित रूप से की जाय।

उक्त के आलोक में निम्नलिखित विभागीय पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए जिलों का कार्य आवंटित किया जाता है:–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	जिला
1	श्री राधेश्याम साह, भा0प्र0से0, विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	1. नालंदा, 2. अरवल, 3. शेखपुरा, 4. जहानाबाद
2	डॉ0 श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	1. लखीसराय, 2. जमुई, 3. पूर्णियाँ, 4. किशनगंज
3	श्री अखिलेश कुमार झा, निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना।	1. सहरसा, 2. मधेपुरा, 3. सुपौल, 4. अररिया
4	श्री वीरेन्द्र कुमार पासवान, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	1. सीतामढ़ी, 2. पश्चिम चम्पारण, 3. कटिहार, 4. बांका
5	श्री कंचन कपुर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	1.शिवहर, 2. मुंगेर 3. बेगूसराय, 4. खगड़िया

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के विभिन्न आयामों को चरणबद्ध तरीके से जिलों में संपन्न कराये जाने हेतु निम्न महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की सतत् समीक्षा किया जाना है:–

प्रथम चरण की समीक्षा :–

1. जिला बंदोबस्त कार्यालय के लिए भवन (चार कमरे एवं एक बड़ा हॉल सहित)।
2. जिला बंदोबस्त कार्यालय में बुनियादी सुविधाऍं यथा – बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट आदि की उपलब्धता।
3. जिला बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित नियमित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक, परिचारी, अमीन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं संविदा अमीन के संख्या की समीक्षा सहित उन्हें कार्य आवंटन।
4. जिला बंदोबस्त कार्यालय में आवश्यक उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल, रैक, ग्लास टेबुल, तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, गुनटर चेन, कम्प्यूटर इत्यादि की उपलब्धता।
5. शिविर कार्यालय के लिए भवन की उपलब्धता एवं आवागमन की दृष्टिकोण से सड़क मार्ग से सुविधाजनक रूप से जुड़ा होना। अंचलवार शिविरों की संख्या व सम्बद्ध मौजों की सूची आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है।
6. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय की जिला मुख्यालय में स्थापना।

7. हवाई एजेंसी द्वारा अपने जिला कार्यालय में लैब की स्थापना तथा उपकरणों यथा – ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0 की प्रर्याप्त संख्या में व्यवस्था एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कर्मियों यथा ई0टी0एस0 ऑपरेटरों की व्यवस्था किया जाना।
8. हवाई एजेंसी द्वारा प्राईमरी एवं सेकेन्ड्री कन्ट्रोल प्वाइन्ट बनाया जाना तथा इन प्वाइन्टों के स्थान की समीक्षा तथा इसके सुरक्षा की व्यवस्था।
9. जिला अंतर्गत शिविरवार राजस्व ग्रामों के कैडस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी मानचित्र का बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से आपूर्ति की स्थिति।
10. जिला में मानचित्र उपलब्धता के लिए लगाये गए प्लॉटर की स्थिति।
11. जिले के सभी राजस्व ग्रामों के संपुष्ट खतियानों की उपलब्धता की स्थिति।
12. जिले के असर्वेक्षित ग्रामों के संदर्भ में समीक्षा।
13. जिला बंदोबस्त कार्यालय में जिले के राजस्व ग्रामों के अनुपलब्ध मानचित्र एवं खतियान के संबंध में पूर्व में निर्गत निदेशों के आलोक में की गयी कार्रवाई, इसकी उपलब्धता या वैकल्पिक व्यवस्था की समीक्षा।
14. जिला स्तर के सभी विभागों के सरकारी भूमि की सूची तैयार करने हेतु उक्त विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक की समीक्षा एवं विभिन्न विभागों द्वारा अपनी भूमि के संबंध में तैयारी।
15. जिला बंदोबस्त कार्यालय को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्र की स्थिति (गुलजारबाग से आवश्यकतानुसार प्रपत्र जिला स्तर से कर्मी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर प्राप्त किया जाना है)।
16. निदेशालय द्वारा नवनियोजित कर्मियों के जिला स्तर पर पदस्थापन पश्चात् शिविरवार प्रतिनियुक्ति से संबंधित Online Personnel Management Software को उपयोग में लाने हेतु कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को नामित करते हुए प्रतिनियुक्ति की वृहत् तैयारी किया जाना।

<u>द्वितीय चरण की समीक्षा :–</u>

1. नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के आपके जिले में पदस्थापन पश्चात उसके संख्या के आधार पर पूर्व में दिये गए निदेश के अनुरूप शिविरों के गठन एवं कर्मियों के प्रतिनियुक्ति की समीक्षा।
2. शिविर कार्यालय में बुनियादी सुविधा यथा – बिजली, पानी, शौचालय आदि की उपलब्धता।
3. शिविर कार्यालय में उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल रैक, ग्लास, टेबुल, तखति, तिपाई, टेप, स्कैल, गन्टर चेन इत्यादि की उपलब्धता।
4. विशेष सर्वेक्षण अमीनों को आवश्यक सामग्री यथा तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, कैलकुलेटर इत्यादि उपलब्ध कराने की स्थिति।
5. जिले में पदस्थापित किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीनों का हवाई एजेंसी के द्वारा आपूरित ई0टी0एस0 एवं डी0जी0पी0एस0 उपकरण एवं ऑपरेटरों के साथ संबद्ध कर क्षेत्र में कार्य करने संबंधी उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में पूर्व में निदेश दिया गया है। इस कार्य को कर लिये जाने के संबंध में समीक्षा।
6. नियमावली के नियम 4 (1) अंतर्गत प्रपत्र–1 में राजस्व ग्राम का उद्धोषणा किया जाना।
7. नियमावली के नियम 8 अंतर्गत खानापुरी दल का गठन किया जाना।
8. विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराए गए सरकारी भूमि की विवरणी, जमाबंदी पंजी की विवरणी, निष्पादित दाखिल–खारिज वादों एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति।
9. अंचल कार्यालयों द्वारा बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी शिविर कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा।

10. शिविरों में हो रहे कार्यो की निरंतर समीक्षा हेतु जिला एवं अनुमंडल स्तर से पदाधिकारियों के नामित किया जाना।

तृतीय चरण की समीक्षा :–

1. जिला एवं अचंल स्तर पर सर्वेक्षण कार्यो की प्रचार–प्रसार।
2. राजस्व ग्राम के स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन।
3. नियमावली के नियम 9 (1) अंतर्गत गत अधिकार अभिलेख से प्रपत्र–5 खतियानी विवरणी तैयार किया जाना।
4. नियमावली के नियम 6 (1) अंतर्गत स्वघोषणा प्रपत्र–2 एवं वंशावली प्रपत्र 3 (1) का संग्रह किया जाना।
5. हवाई एजेंसी सर्वेक्षण द्वारा ग्राम त्रीसीमाना निर्धारण/मोन्यूमेंटेशन/ग्राम सीमा सत्यापन किया जाना तत्पश्चापत् सर्वे मानचित्र के आपूर्ति की समीक्षा।
6. जिला एवं अनुमंडल स्तर के शिविर भ्रमण कर कार्य की समीक्षा हेतु जिला स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

विभागीय स्तर से प्रतिनियुक्त उक्त सभी पदाधिकारी कार्यालय अवधि में प्रतिदिन आवंटित जिलों के संबंधित अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त से उपरोक्त बिन्दुओं के कार्यान्वयन के संबंध में वार्त्ता कर समीक्षा करेंगे। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से किसी प्रकार की कठिनाईयों के दूर करने के लिए प्रभारी पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय), सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से संपर्क कर सकते है।

सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी विभागीय स्तर पर होने वाले साप्ताहिक बैठक में उल्लेखित जिलों में हो रहे कार्यों के संबंध में समीक्षा हेतु प्रतिवेदन अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार को प्रस्तुत करेंगे।

(राधेश्याम साह)
विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–तक0को0– 312/2018...10496...... पटना, दिनांक :–19.08.2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय), सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

ज्ञापांक :– 17–तक0को0– 312/2018...10496...... पटना, दिनांक :–19.08.2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

ज्ञापांक :– 17–तक0को0– 312/2018...10496...... पटना, दिनांक :–10496

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\Order\order\file no.- _12-08-2020.doc